

भाग- IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी.- 6/7 योजना के अन्तर्गत तामिया-जुन्नारदेव मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) उन्नयन/ चौड़ीकरण हेतु 5.70 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 8.85 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:- 27/04/2022

स्थान:- भोपाल।



(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal